प्रेस नोट
जनपद संकबीरनगर
दिनाँक 02.06.2026

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को 26,510/- रुपये की धनराशि कराई गई वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे क्रैक साइबर क्राइम अभियान के अन्तर्गत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने हेतु साइबर क्राइम हेल्प डेस्क थाना महुली पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार पीड़ित को 26,510/- रुपये की धनराशि वापस कराई गई।

घटना का संक्षिप्त विवरण :- वादी धर्मेन्द्र यादव पुत्र रामरुप यादव निवासी ग्राम कर्रीखास थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि दिनांक 22.05.2026 को यूपीआई से पैसे ट्रांसफर कर रहा था मोबाईल नम्बर गलत हो जाने के कारण पैसा किसी अन्य के खाते में चला गया। तत्पश्चात वादी द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर थाना महुली पुलिस एवं साइबर टीम द्वारा मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित बैंकिंग एवं तकनीकी माध्यमों से तत्काल आवश्यक कार्यवाही की गई।
निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप पीड़ित के खाते में ₹26510/- की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गयी।

रिकवर कराने वाले अधि0/कर्मचारीगण:- थानाध्यक्ष श्री दुर्गेश पाण्डेय, उ0नि0 श्री अनुज यादव, का0 अंकित पटेल, का0 सोनू यादव, का0 मनोज यादव, म0का0 कमलेश कुमारी।

जनपद पुलिस की अपील :- जनपद पुलिस द्वारा आम नागरिकों से अपील की जाती है कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक, कॉल या संदेश पर विश्वास न करें तथा अपनी बैंक संबंधी जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन किसी के साथ साझा न करें। सावधानी ही सुरक्षा है।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित बाल अपचारी को किया गया निरुद्ध

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में ***थाना बेलहरकला पुलिस*** द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 02.06.2026 को मु0अ0सं0 46/2026 धारा 65(1), 127(2) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना बेलहरकला से सम्बन्धित वांछित बाल अपचारी को लोहरसन से बेलहरकला जाने वाली मार्ग पर स्थित आम के बाग के पास से अभिरभा में लेकर माननीय किशोर न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 22.05.2026 को थाना बेलहरकला पर उक्त बाल अपचारी के विरुद्ध वादिनी की नाबालिग पुत्री को जबरन अपने घर में ले जाने व गलत काम करने का प्रयास करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में सुसंगत धाराओं की बढ़ोत्तरी करते हुए आज दिनाँक 02.06.2026 को उक्त बाल अपचारी को अभिरक्षा में लेकर माननीय किशोर न्यायालय रवाना किया गया।

अभिरक्षा में लेने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री जयप्रकाश यादव, हे0का0 दीनानाथ राजभर, का0 लक्ष्मीकान्त तिवारी।

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना बेलहरकला पुलिस*** द्वारा 02 नफर वारण्टी नाम पता 01. रमानन्द पुत्र स्व० बेचन निवासी सप्तीनानकार थाना खेसरहा जनपद सिध्दार्थनगर 02. दिलीप पुत्र शिवपूजन निवासी केचुआखोर थाना धर्मसिंहवा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अशोक कुमार भारती, उ0नि0 श्री विनय कुमार राय।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5995 द्वारा नाबालिक बालिका को पहुँचाया गया घर– पीआरवी 6005 को थाना मेंहदावल क्षेत्रांतर्गत पचनेउरी से कालर द्वारा नाबालिक लड़की मिली मिलने के सम्बन्ध में सूचना दिया गया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर घटना के बारे में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि नाबालिक लड़की को घर के लोगो द्वारा डाट-बोल देने पर घर छोड़कर दुसरे गाँव में चली गयी थी, पीआरवी कर्मियों द्वारा मौके पर नाबालिक लड़की को समझा-बुझाकर उसके माता-पिता को सुपुर्द किया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना मेहंदावल को अवगत कराया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों सराहना व प्रशंसा की गयी ।

***पीआरवी स्टाफ-* उ0नि0 श्री गंगेश्वर पासवान, मु0आ0चा0 इमरान बेग।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 303 वाहनों से 3,96,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 02.06.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 303 वाहनों से 3,96,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित बाल अपचारी को किया गया निरुद्ध

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष दुधारा *श्री अमित कुशवाहा* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 02.06.2026 को मु0अ0सं0 195/2026 धारा 65(1), 351(3), 127(2) बीएनएस व 5J(ii)/6 पाक्सो एक्ट थाना दुधारा से सम्बन्धित वांछित बाल अपचारी को ग्राम पुरवा के बाहर पंचायत भवन के पास से अभिरभा में लेकर माननीय किशोर न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 07.05.2026 को थाना दुधारा पर उक्त बाल अपचारी के विरुद्ध वादी की नाबालिग बहन को डरा धमका कर अपने घर में ले जाने व दुष्कर्म करने व पीड़िता के गर्भवती होने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना दुधारा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में पीड़िता के गर्भवती होने का अपराध पाये जाने पर सुसंगत धाराओं की बढ़ोत्तरी की गयी तथा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनाँक 02.06.2026 को उक्त बाल अपचारी को अभिरक्षा में लेकर माननीय किशोर न्यायालय रवाना किया गया।

अभिरक्षा में लेने वाले पुलिस बल का विवरण- थानाध्यक्ष दुधारा श्री अमित कुशवाहा, का0 रंजन कुमार सिंह, रि0का0 आदर्श श्रीवास्तव, रि0का0 शिवदत्त तिवारी।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आरक्षित वन भूमि में अतिक्रमण कर अवैध निर्माण करने के मामले में 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 2,000रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कन्विक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 02.06.2026 को माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज मेंहदावल ने अभियुक्तगण 01. तबारक हुसैन 02. मोहर अली पुत्रगण भीखन निवासीगण जंगल दशहरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध आरक्षित वन भूमि में दबंगई से अतिक्रमण कर अवैध निर्माण करने के सम्बन्ध में थाना बखिरा पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक हे0का0 श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 751/2016 धारा 447 भादवि व 26 भा0 वन अधि0 थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण तबारक हुसैन, मोहर अली उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को 01-01 हजार रुपये (कुल 2000रु0) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की अदायगी न करने पर अभियुक्तगण उपरोक्त को 30-30 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।